कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है, जो हरियाणा में विद्युत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्युत उत्पादन संयंत्रों की योजना बनाने, चालू करने और संचालित करने के लिए निगमित (मार्च 1997) है। 31 मार्च 2021 तक, कंपनी की कुल उत्पादन क्षमता 2,582.4 मेगावाट थी जिसमें तीन थर्मल पावर प्लांट (2,510 मेगावाट), पश्चिमी यमुना नहर, यमुना नगर में एक हाइड्रो पावर प्लांट (62.4 मेगावाट) और पानीपत में एक सोलर पावर प्लांट (10 मेगावाट) शामिल था। कंपनी द्वारा उत्पादित विद्युत विशेष रूप से हरियाणा राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों को बेची जाती है। विद्युत की बिक्री के लिए ऊर्जा प्रभार हर वर्ष कंपनी की वार्षिक राजस्व आवश्यकता के आधार पर हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा तय किए जाते हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, पानीपत थर्मल पावर स्टेशन की यूनिट-V (210 मेगावाट) को मार्च 2020 में चरणबद्ध ढंग से बंद कर दिया गया था और नवंबर 2016 के दौरान 10 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया था।

मुख्य लेखापरीक्षा परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है:

उत्पादन संयंत्रों का संचालन और रखरखाव

उत्पादन 2017-18 में 10,567.83 मिलियन यूनिट से घटकर 2020-21 में 5,466.81 मिलियन यूनिट हो गया। यह हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित मानक उत्पादन से कम था और 2017-21 के दौरान कमी 42.61 से 69.24 प्रतिशत के मध्य थी। कम उत्पादन का मुख्य कारण थर्मल पावर स्टेशनों की उच्च परिवर्तनीय लागत थी जिसके परिणामस्वरूप संयंत्रों का संचालन बंद हो गया।

(अनुच्छेद 2.1, पृष्ठ 7)

कंपनी की सभी यूनिटों के संबंध में प्लांट लोड फैक्टर में विभिन्न तकनीकी समस्याओं के कारण फोर्स्ड आउटेज, कैपिटल ओवरहालिंग से संबंधित कार्यों के निष्पादन में खराब योजना के कारण काफी कमी आई। मानक प्लांट लोड फैक्टर प्राप्त नहीं होने के कारण, कंपनी विद्युत वितरण कंपनियों से 2016-21 के दौरान ₹ 390.94 करोड़ की नियत लागत वसूल नहीं कर सकी। मानक प्लांट लोड फैक्टर प्राप्त न होने के कारण कंपनी ने 2016-21 के दौरान 49,559.73 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन न करके ₹ 15,576.80 करोड़ का संभावित राजस्व अर्जित करने का अवसर खो दिया।

(अनुच्छेद 2.2, पृष्ठ 8)

मेरिट ऑर्डर के अनुसार, कंपनी के संयंत्र 33 विद्युत संयंत्रों में से महंगे संयंत्रों में से एक थे, जिनके लिए विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा मेरिट ऑर्डर तैयार किया जाता है। उच्च परिवर्तनीय लागत के कारण मेरिट ऑर्डर में उनकी रैंक 2016-17 से 2020-21 के दौरान पहली और 13वीं के मध्य थी। मेरिट ऑर्डर में थर्मल संयंत्रों की स्थिति खराब हो गई जिसके

कारण कंपनी ने 38,862.43 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन न करके ₹ 13,449.61 करोड़ का संभावित राजस्व अर्जित करने का अवसर खो दिया।

(अनुच्छेद 2.5, पृष्ठ 12)

राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट की यूनिट-II अनियमित लोडिंग पैटर्न के कारण क्षतिग्रस्त हो गई (सितंबर 2020)। कंपनी ने प्रतिदिन 12.24 मिलियन यूनिट के उत्पादन की हानि के अलावा मरम्मत लागत पर लघु राशि और ₹ 0.97 करोड़ प्रतिदिन की नियत लागत की हानि पर कोई लागत लाभ विश्लेषण नहीं किया कि मरम्मत के लिए जाएं या एक उपकरण खरीदें। जनवरी 2022 के दौरान हाई इंटरमीडिएट प्रेशर रोटर प्राप्त हो गया लेकिन संबंधित पुर्जों की प्राप्ति न होने के कारण यूनिट को चालू नहीं किया जा सका। इस प्रकार, फोर्स्ड शटडाउन अवधि के लिए संभावित राजस्व की हानि के अलावा विद्युत वितरण कंपनियों से ₹ 396.77 करोड़ की नियत लागत वसूल नहीं की जा सकी।।

(अनुच्छेद 2.6.2, पृष्ठ 20)

गैर-अंत:परिवर्तनीय ब्लेडों की स्वीकृति और मशीनों के ओवरहालिंग कार्य को पूरा करने में विलंब के कारण कंपनी को पश्चिमी यमुना केनाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के संबंध में ₹ 30.73 करोड़ मूल्य की 63.80 मिलियन यूनिट ग्रीन एनर्जी के उत्पादन का नुकसान उठाना पड़ा। कम उत्पादन के कारण, विद्युत वितरण कंपनियों को अन्य स्रोतों से 63.80 मिलियन यूनिट विद्युत खरीदनी पड़ी परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं पर ₹ 30.73 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा।

(अनुच्छेद 2.6.6, पृष्ठ 26)

उत्पादन संयंत्रों के संचालन और रखरखाव पर लेखापरीक्षा परिणामों के संदर्भ में, लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि:

- कंपनी को विद्युत उत्पादन के लिए अपने थर्मल संयंत्रों की परिवर्तनीय लागत को नियंत्रित करने की आवश्यकता है ताकि विद्युत वितरण कंपनियों से विद्युत उत्पादन के लिए शेड्यूल प्राप्त किया जा सके।
- मूल उपकरण विनिर्माताओं की सिफारिशों के अनुसार उत्पादन संयंत्रों की ओवरहालिंग की योजना बनाई जाए और इस तरह से निर्धारित किया जाए कि फोर्स्ड आउटेज को कम किया जा सके।
- कंपनी को अपने कैपिटल उपकरणों की मरम्मत करवाने या नए उपकरण खरीदने का निर्णय लेने के लिए लागत लाभ विश्लेषण करना चाहिए।

ईंधन और वस्तुसूची प्रबंधन

कंपनी के तीनों विद्युत संयंत्रों का कोयला खपत पैटर्न 2019-20 और 2020-21 के दौरान राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट (यूनिट-II) को छोड़कर अपनी यूनिटों के संबंध में हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित मानदंडों के भीतर था।

(अनुच्छेद 3.1, पृष्ठ 31)

मात्रा और गुणवत्ता के दावों में कोयला कंपनियों की कम आपूर्ति के लिए मुआवजा, नमूना न किए गए रेक पर गुणवत्ता के दावे और बेकार माल ढुलाई से संबंधित मुआवजे शामिल हैं। 2016-21 के दौरान मात्रा दावों के कारण ₹ 421.74 करोड़ के लिए दर्ज किए गए कुल दावों में से, कंपनी 2016-17 से 2020-21 के दौरान ₹ 21.68 करोड़ (केवल 5.14 प्रतिशत) के दावों का समाधान कर सकी। कंपनी द्वारा कोयला आपूर्ति कंपनियों के साथ किए गए ₹ 494.32 करोड़ के मात्रा दावे और ₹ 270.50 करोड़ के गुणवत्ता के दावे 31 मार्च 2021 तक लंबित थे।

(अनुच्छेद 3.3, पृष्ठ 33)

परिचालन एवं अनुरक्षण स्पेयर्स में शामिल कार्यशील पूंजी कंपनी के तीनों संयंत्रों में हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के निर्धारित मानदंडों से अधिक थी और इसलिए कंपनी टैरिफ के माध्यम से परिचालन एवं अनुरक्षण स्पेयर्स में शामिल अतिरिक्त कार्यशील पूंजी पर ₹ 105.31 करोड़ की ब्याज राशि की वसूली नहीं कर सकी।

(अनुच्छेद 3.5.2, पृष्ठ 42)

कंपनी के तीन संयंत्रों (दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट और पानीपत थर्मल पावर स्टेशन) द्वारा आवश्यकता की तारीख से खरीद आदेश देने में लिया गया औसत समय सामग्री की खरीद के लिए 223 और 328 दिनों के मध्य था। आगे, उपयोगकर्ताओं को इन संयंत्रों में यह सामग्री उनकी आवश्यकताओं के 412 से 682 दिनों के मध्य के औसत दिनों के बाद प्राप्त हुई।

(अनुच्छेद 3.5.3, पृष्ठ 43)

ईंधन और वस्तुसूची प्रबंधन पर लेखापरीक्षा परिणामों के संदर्भ में, लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि:

कंपनी

- कोयला आपूर्ति कंपनियों के साथ उनके शीघ्र निपटान के लिए मात्रा और गुणवत्ता के दावों को आगे बढ़ाए।
- कोयला कंपनियों द्वारा भेजे गए सभी कोयला रेक का गुणवत्ता विश्लेषण सुनिश्चित करे।
- सुनिश्चित करे कि उपयोग की गई निधियों पर ब्याज के वित्तीय बोझ से बचने के लिए हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुसूची स्तर बनाए रखा गया है।
- अपने कार्य और खरीद विनियमों में खरीद मामलों को संसाधित करने के लिए एक नजदीकी तिथि निर्धारित करे, जैसा कि आश्वासन दिया गया है।

वित्तीय प्रबंधन

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के टैरिफ आदेशों के उल्लंघन में हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग मानदंडों के विरूद्ध उच्च प्लांट लोड फैक्टर की प्राप्ति के कारण कंपनी ने 2018-19 और 2019-20 के दौरान ₹ 26.46 करोड़ की अतिरिक्त स्थायी लागत की वसूली की।

(अनुच्छेद 4.1.2, पृष्ठ 48)

सभी थर्मल प्लांटों में दैनिक कोयला स्टॉक का वास्तविक औसत स्तर 2016-21 की अवधि के दौरान हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित मानक स्तर से कम रहा। परिणामस्वरूप, कंपनी ने 2016-17 और 2017-18 के दौरान हरियाणा विद्युत वितरण कंपनियों से टैरिफ के माध्यम से कार्यशील पूंजी पर ₹ 107.23 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज का दावा किया और वसूल किया जिससे राज्य के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ा।

(अनुच्छेद 4.1.3 (क), पृष्ठ 50)

बिक्री प्राप्तियों में शामिल वास्तविक औसत कार्यशील पूंजी वर्ष 2016-18 की अवधि के दौरान उत्पादन के निम्न स्तर के कारण मानक कार्यशील पूंजी आवश्यकता से ₹ 415.39 करोड़ कम थी। इस प्रकार, कंपनी ने विद्युत वितरण कंपनियों से प्राप्तियों के कारण कार्यशील पूंजी पर ₹ 43.82 करोड़ के अधिक ब्याज का दावा किया और वसूली की।

(अनुच्छेद 4.1.3 (ख), पृष्ठ 51)

कंपनी ने 2016-17 से 2020-21 के दौरान फ्लाई ऐश की बिक्री के माध्यम से ₹ 252.12 करोड़ की राशि प्राप्त की लेकिन इस अवधि के दौरान केवल ₹ 15.23 करोड़ का उपयोग किया। फ्लाई ऐश की बिक्री के माध्यम से एकत्रित ऐश निधि में ₹ 476.20 करोड़ की राशि अप्रयुक्त रही। कंपनी ने इस निधि का इस्तेमाल सामान्य कारोबार में किया।

(अनुच्छेद 4.1.4, पृष्ठ 52)

वित्तीय प्रबंधन पर लेखापरीक्षा परिणामों के संदर्भ में, लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि:

- राज्य उपभोक्ताओं पर किसी भी अतिरिक्त बोझ से बचने के लिए कंपनी को हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के टैरिफ आदेशों के अनुसार विद्युत वितरण कंपनियों से स्थायी लागत के लिए अपने प्रभार वसूल करने चाहिए।
- कंपनी को राज्य के उपभोक्ताओं पर किसी भी तरह के अनुचित वित्तीय बोझ से बचने के लिए वास्तविक आवश्यकता के आधार पर विद्युत वितरण कंपनियों से कोयला स्टॉक और प्राप्तियों में शामिल कार्यशील पूंजी पर ब्याज का दावा करना चाहिए।
- कंपनी को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार ड्राई फ्लाई ऐश की बिक्री से प्राप्त निधियों का उपयोग करना चाहिए।

पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन और स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन

कंपनी के विद्युत संयंत्रों ने 2016-21 से सभी वर्षों में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर स्तरों के संबंध में उत्सर्जन मानदंडों को प्राप्त किया। हालांकि, विद्युत संयंत्रों द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_x) के उत्सर्जन मानदंड प्राप्त नहीं किए गए हैं।

(अनुच्छेद 5.1.1, पृष्ठ 55)

कंपनी बुनियादी ढांचे या सुविधाओं के विकास, फ्लाई ऐश के उपयोग के लिए प्रोत्साहन और सुविधा गतिविधियों के लिए फ्लाई ऐश निधि का उपयोग करने में विफल रही जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय दिशानिर्देशों का उल्लंघन करती है।

(अनुच्छेद 5.1.3, पृष्ठ 58)

कंपनी ने अक्तूबर 2016 में राज्य सरकार की मंजूरी के बावजूद अपनी जमीन पर 133.20 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की। तथापि, कंपनी 2016-21 की अवधि के दौरान पानीपत थर्मल पावर स्टेशन (दिसंबर 2021) में सिर्फ 10 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित कर सकी और इस प्रकार, ग्रीन एनर्जी उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

(अनुच्छेद 5.2.1, पृष्ठ 60)

सौर परियोजना से विद्युत की आपूर्ति के लिए विद्युत वितरण कंपनियों के साथ विद्युत खरीद अनुबंध करते समय, कंपनी डीम्ड उत्पादन के संबंध में नियम एवं शर्तों को हटाने के लिए सहमत हुई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.12 करोड़ मूल्य की 35.05 लाख यूनिट के उत्पादन की हानि हुई।

(अनुच्छेद 5.2.2 (क), पृष्ठ 62)

पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन और स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन पर लेखापरीक्षा परिणामों के संदर्भ में, लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि:

कंपनी:

- उत्सर्जन के स्तर को मानदंडों के भीतर रखने के लिए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित करे;
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार ड्राई फ्लाई ऐश निधि का प्रभावी उपयोग और सूखी फ्लाई ऐश का निपटान सुनिश्चित करे;
- ग्रीन एनर्जी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समयबद्ध तरीके से उपलब्ध भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करे; तथा
- भविष्य में सौर संयंत्रों के लिए विद्युत खरीद अनुबंध को अंतिम रूप देते समय क्षमता उपयोग कारक और डीम्ड उत्पादन आदि के संबंध में हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के निर्देशों का पालन करे।

हरियाणा राज्य के लिए हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र द्वारा मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के आधार पर विद्युत की खरीद

1 नवंबर 2019 को 5,941.19 मेगावाट की अधिकतम मांग के विरूद्ध हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र ने 6,046.61 मेगावाट की खरीद की थी जिसमें नवीकरणीय स्रोतों से 1,628.69 मेगावाट (अनिवार्य चालित ऊर्जा), मेरिट ऑर्डर के आधार पर थर्मल पावर से 4,027.02 मेगावाट,

लघु अवधि थर्मल पावर से 263.59 मेगावाट और एनर्जी एक्सचेंज से 127.31 मेगावाट शामिल हैं।

(अनुच्छेद 6.1.1, पृष्ठ 66)

हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र 2019-20 और 2020-21 के दौरान 7,204 मेगावाट क्षमता की वास्तविक उपलब्धता के विरूद्ध 2019-20 और 2020-21 के दौरान अधिकतम क्रमश: 5,119 मेगावाट और 5,595 मेगावाट क्षमता का उपयोग कर सका। इस प्रकार, 2019-20 के दौरान 2,085 मेगावाट क्षमता और 2020-21 के दौरान 1,609 मेगावाट क्षमता अप्रयुक्त रही। जिसके कारण, हरियाणा राज्य के स्वामित्व वाली उत्पादन इकाइयों सहित थर्मल पावर प्लांटों की इकाइयां इन वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण अवधि के लिए बंद (गैर-परिचालनात्मक) थीं।

(अनुच्छेद 6.4, पृष्ठ 73)

हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र/वितरण कंपनियों ने पूर्व में तदर्थ निर्धारण के आधार पर क्षमता बढ़ाई थी जिसके परिणामस्वरूप मौजूदा स्रोतों का कम उपयोग हुआ और राज्य के उपभोक्ताओं पर स्थायी लागत का अनुचित भार पड़ा।

(अनुच्छेद 6.5, पृष्ठ 75)

हरियाणा राज्य के लिए हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र द्वारा मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के आधार पर विद्युत खरीद पर लेखापरीक्षा परिणामों के संदर्भ में, लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि:

- हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र को विद्युत खरीद के लिए सर्वोत्तम मिश्रण प्राप्त करने के लिए परिचालन अनुसंधान/अनुकूलन तकनीकों का उपयोग करना चाहिए।
- हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र को मेरिट ऑर्डर डिस्पैच तैयार करते समय मैसर्ज झज्जर पावर लिमिटेड की उचित परिवर्तनीय लागत पर विचार करने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए।